प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च, 2016**

विषय: **वित्तीय वर्ष 2015-16 में लेखाशीर्षक 2415-80-004-07 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान योजनान्तर्गत वेतन भत्तों में उपलब्ध हो रही बचत रू0-3200.00 हजार (रूपया बत्तीस लाख) के सापेक्ष राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में पुर्नविनियोग के माध्यम से रू0-1686.00 हजार (रूपया सोलह लाख छियासी हजार) की स्वीकृत विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-318-19/बजट-आयोजनेत्तर/2015-16 दिनांक 29.01.2016 के सन्दर्भ में एवं शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-599/ई-1/दस-2016, दिनांक-21.03.2016 पृष्ठांकन संख्या-279/58-2-2016-300(2)/2016 दिनांक 29.03.2016 की छाया प्रति संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा लेखाशीर्षक 2415-80-004-07 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान योजनान्तर्गत वेतन भत्तों में उपलब्ध हो रही बचत रू0-3200.00 हजार (रूपया बत्तीस लाख) के सापेक्ष राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि रू0-1686.00 हजार (रूपया सोलह लाख छियासी हजार) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान	पुर्नविनियोग के फलरूवरूप प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
10	**2415-80-004-07 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान**			
	02-मजदूरी	**50**	**95**	**45**
	04-यात्रा व्यय	**120**	**150**	**30**
	06-अन्य भत्ते	**550**	**635**	**85**
	08-कार्यालय व्यय	**60**	**80**	**20**
	09-विद्युत देय	**70**	**321**	**251**
	11-लेखन सामग्री और फर्मो की छपाई	**35**	**50**	**15**
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	**20**	**100**	**80**
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	**50**	**200**	**150**

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		**360**	**360**
	29-अनुरक्षण	**70**	**320**	**250**
	42-अन्य व्यय	**100**	**400**	**300**
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय		**100**	**100**
	योग-	**1125**	**2811**	**1686**

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3- भण्डार क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

5- व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

6- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

7- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-28/2016/382(1)/58-2-2016, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in